स्पेशल टास्क फोर्स, मध्यप्रदेश

पुलिस मुख्यालय के पास, जहाँगीराबाद, भोपाल(म.प्र.), 462008

फोन नम्बर : 0755–2922503, ईमेल :adg-stf@mppolice.gov.in

क्रमांक- अमनि/एसटीएफ/निस/ 2447 /2022, दिनांक- 08 .04.2022

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
2. समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक,
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
4. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
5. समस्त जिला कलेक्टर,
6. समस्त पुलिस अधीक्षक,
7. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय),

मध्यप्रदेश ।

विषय :- टाइगर सेल को सक्रिय कर उसकी नियमित बैठक आयोजित कराए जाने के संबंध में ।

संदर्भ :- म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-14/174/94/10-2 भोपाल दिनांक 26.02.1997 एवं अपराध अनुसंधान विभाग, पु.मु. भोपाल का पत्र क्रमांक 76/16, दिनांक 07.09.16.

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस विभाग, वन्य विभाग व अन्य संबंधित संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर टाइगर एवं अन्य वन्य प्राणियों के शिकार, रहवास क्षेत्र का विखण्डन व तस्करी कर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु टाइगर सेल का गठन किया गया है । पूरे प्रदेश के लिए टाइगर सेल की द्विस्तरीय संरचना बनाई गई है । प्रथम स्तर में मुख्यालय में एक राज्य स्तरीय समिति एवं द्वितीय स्तर में क्षेत्रीय समितियां हैं, जिसे दो हिस्सों में विभाजित किया गया है – (अ) संभागीय समिति/मॉनिटरिंग (समीक्षा) समिति, (ब) जिला स्तरीय समिति/क्रियान्वय समिति ।

इस संबंध में राज्य स्तरीय टाइगर सेल की बैठक दिनांक 28.01.22 को ईको पर्यटन विकास बोर्ड, ऊर्जा भवन, भोपाल में आयोजित की गई थी । उक्त बैठक के दौरान यह तथ्य मुख्यतः प्रकाश में आया कि टाइगर सेल की क्षेत्रीय समितियों की बैठकें समय-समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं । इस हेतु बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय बैठक वर्ष में 03 बार एवं संभाग स्तरीय बैठक वर्ष में 02 बार आयोजित की जाए, ताकि शासन द्वारा निर्धारित टाइगर सेल के उद्देश्य की पूर्ति हो सके । इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी टाइगर सेल की कार्ययोजना व विभिन्न समितियों के दायित्व, जिम्मेदारियों संबंधी निर्देश आपकी ओर प्रेषित किए जा रहे हैं । कृपया उक्त अनुसार कार्यवाही किए जाने का कष्ट करें ।

संलग्न :- कार्ययोजना – टाइगर सेल म.प्र. ।

V.K. Maheshwari 8/4/22

(वी.के. माहेश्वरी)
अ.म.नि. एस.टी.एफ.
एवं अध्यक्ष, स्टेट टाइगर सेल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

...2.

क्रमांक- अमनि/एसटीएफ/निस/ 2447 /2022, दिनांक- 08 .04.2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं सह अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. प्रभारी अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

J.k. Maheshwari 8/4/22

अ.म.नि. एस.टी.एफ.
एवं अध्यक्ष, स्टेट टाइगर सेल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

दिनांक 28.01.2022 को आयोजित स्टेट टाईगर सेल की 7वी बैठक का कार्यवाही विवरण

श्री विपिन महेश्वरी (IPS) अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ पुलिस की अध्यक्षता एवं डॉ. एच.एस. नेगी (IFS) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की सह–अध्यक्षता में ईको पर्यटन बोर्ड, उर्जा भवन, भोपाल के सभागार में दिनांक 28.01.2022 को स्टेट टाईगर सेल की 7वी बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहें :–

1.	श्री आलोक कुमार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.
2.	श्री अभय कुमार पाटिल	प्रबन्ध संचालक वन विकास निगम, भोपाल
3.	श्री सी.के पाटिल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), भोपाल
4.	श्री असीम श्रीवास्तव	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), भोपाल
5.	श्री सत्यानंद	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ईको पर्यटन बोर्ड, भोपाल
6.	श्री रामनीश गीर	संयुक्त निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सीबीआई), भोपाल
7.	श्री एच.सी गुप्ता	संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल
8.	श्री आलोक पाठक	वनमण्लाधिकारी वनमण्डल, भोपाल
9.	श्री रितेश सरोठिया	प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. भोपाल
10.	श्री रजनीश कुमार सिंह	उप वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) मुख्यालय, भोपाल
11.	सुश्री सुप्रिया कोचर	ट्राफिक इंडिया, नई दिल्ली
12.	डॉ अतुल गुप्ता	पशु चिकित्सक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल
13.	सुश्री भारती सामन्तराय	सहायक निदेशक इनटेलिजेन्स ब्यूरो, भोपाल
14.	श्री गर्वित गंगवार	परिविक्षाधीन उप वन संरक्षक, भोपाल
15	श्री सुनील भारद्वाज	अधीक्षक रातापानी अभ्यारण, औबेदुल्लागंज
16.	श्री विजयेन्द्र सिंह	प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सागर
17.	श्री आर एस राजपूत	प्रभारी अधिकारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, होशंगाबाद
18.	श्री जितेन्द्र बंसल	वनक्षेत्रपाल स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल

वर्चुअल रूप से उपस्थित अधिकारियों की सूची

1	श्री एल कुष्णमूर्ति	क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद
2	श्री अशोक कुमार मिश्रा	क्षेत्र संचालक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी
3	डॉ शोभा जावरे	निदेशक, स्कूल आफ वाइल्ड लाईफ फॉरेन्सिक एवं हेल्थ, जबलपुर
4	श्री लवित भारती	उप संचालक बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया
5	श्री पी.के. वर्मा	वनमण्लाधिकारी पालपुरकूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर
6	श्री अधर गुप्ता	उप संचालक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी
7	श्री अभिजीत रॉय चौधरी	उप संचालक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जबलपुर
8	श्री हरिओम	उप संचालक संजय टाइगर रिजर्व, सीधी
9	डॉ निधि राजपूत	स्कूल आफ वाइल्ड लाईफ फॉरेन्सिक एवं हेल्थ, जबलपुर
10	श्री राजेश धाकड़	अधीक्षक खिवनी अभ्यारण, देवास
11	श्री धरम सिंह सोलंकी	वनक्षेत्रपाल टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इंदौर
12	सुश्री विद्या वेंकटेश	डायरेक्टर, लास्टविल्डरनेस सोसायटी, मुम्बई
13	श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ला	प्रबंधक, मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी, भोपाल

स्टेट टाइगर सेल की बैठक दिनांक 28.01.2022 में टाइगर सेल के गठन की पृष्ठ भूमि से अवगत कराया गया। बैठक में की गई कार्यवाही का बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री आलोक कुमार, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र के द्वारा स्टेट टाइगर सेल के गठन उद्देश्य एवं वर्तमान समय में महत्व तथा उपयोगिता से अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वन्यप्राणी अपराध एक संगठित अपराध है जो राज्य एवं राज्य के बाहर से अपराधिक तत्वों के द्वारा संचालित किया जाता है। स्टेट टाइगर सेल विभिन्न कानून प्रवर्तन सस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। जिससे संगठित वन्यप्राणी अपराधों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसी कड़ी में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 28060/02 दिनांक 05.05.2017 में वन्यप्राणी कछुऐं एवं पेंगोलिन का अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों को अधिकतम सजा दिलवाई गई। हाल ही में संगठित वन्यप्राणी अपराध का एक प्रकरण खण्डवा वनमण्डल के अंतर्गत दर्ज किया गया है। जिसमें वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी गिद्ध की प्रजाति को अवैध परिवहन करते हुये वनमण्डल खण्डवा एवं रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स, खण्डवा के द्वारा पकडा गया है।
2. बैठक के अध्यक्ष श्री विपिन महेश्वरी, अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ पुलिस द्वारा देश में विभिन्न भागों में घटित हो रहे वन्यप्राणी अपराधों एवं वन्यप्राणी अवयवों के अवैध व्यापार की स्थिति के बारे में अवगत् कराया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने संबोधन में वन्यप्राणी अपराधों के डाटा का संग्रहण एवं उनको दूसरी प्रवर्तन संस्थाओं के साथ आदान–प्रदान करने व अपराधियों के डाटाबेस बनाने के विषय में सुझावों पर भी चर्चा की गई साथ ही उनके द्वारा प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया एवं आवश्यक सहयोग हेतु क्षेत्रीय अमले को निर्देशित करने हेतु भी आश्वस्त किया गया।
3. डॉ. एच.एस. नेगी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं सह–अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल के द्वारा टाइगर सेल की बैठक नियमित रूप से न होने पर खेद व्यक्त किया गया एवं बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों से स्टेट टाइगर सेल की बैठक को प्रतिवर्ष नियमित रूप से किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

प्रस्तुतीकरण :–

(1) श्री रितेश सरोठिया (प्रभारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, म.प्र.) द्वारा प्रस्तुतीकरण :–

प्रदेश में घटित हो रहे वन एवं वन्यप्राणी अपराधों की वर्तमान स्थिति, माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत किये प्रकरणों एवं निराकरण की स्थिति का परिचयात्मक प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रभारी द्वारा वन्यप्राणी अपराधों के वर्तमान परिदृश्य में स्थिति तथा चुनौतियों पर भी सारगर्भित एवं तथ्यात्मक रूप से जानकारी प्रस्तुत की गई। वन्यप्राणी सैण्डबोआ, पेंगोलिन, प्रतिबंधित पक्षियों, कछुऐं, बाघ एवं तेन्दुऐं के प्रकरणों के बारे में विशिष्ट रूप से व प्रदेश के हॉट स्पॉट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

(2) डॉ. निधि राजपूत (स्कूल ऑफ वाइल्ड लाईफ फोरेन्सिक एंड हेल्थ, जबलपुर) द्वारा प्रस्तुतीकरण :–

डॉ. निधि राजपूत द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में वाइल्ड लाईफ फोरेन्सिक के क्षेत्र में उनके संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं, सेवाओं तथा संस्थान द्वारा किये जाने वाले नियमित एवं नवागत जॉच पद्धतियों के विषय सें अवगत् कराया, साथ ही वाइल्ड लाइफ फोरेन्सिक की वन अपराध अन्वेषण प्रक्रिया में भूमिका तथा विवेचना अधिकारी से अपेक्षाओं एवं उसके परिणामों के प्रभाव के विषय में भी तथ्यात्मक एवं रूचिकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्थान द्वारा किये जाने वाले भविष्य में प्रस्तावित नवाचारों के संबंध में भी इस प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी साझा की गई। वन्यप्राणी अपराध के दौरान सैम्पल एकत्रित करने एवं सीलबद्व करने की प्रक्रिया में रखे जाने वाली सावधानियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

(3) सुश्री विद्या वेंकटेश डायरेक्टर, लास्ट विल्डररेस सोसायटी मुम्बई द्वारा प्रस्तुतीकरण :–

सुश्री विद्या वेंकटेश डायरेक्टर, लास्ट विल्डरनेस सोसायटी मुम्बई द्वारा वन्यप्राणी अपराध में लिप्त शिकारी समुदाय व संबंधित जनजातियों विशेषकर पारधी एवं बहेलिया को जागरूक करने एवं उनको समाज की मुख्य विचारधारा में जोड़ने हेतु किये जा रहे समग्र प्रयासों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। जिसमें उनके द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना के अंतर्गत किये गये उत्कृष्ट कार्यो से अवगत कराया गया।

बैठक एजेण्डा में सम्मिलित बिन्दुओं पर चर्चा :–

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण द्वारा वन्यप्राणी सुरक्षा एवं अपराध से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर अपने विचार मंच के माध्यम से साझा किये–

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (1) वन्यप्राणी अपराधों एवं लिप्त आरोपियों के डाटाबेस का संधारण एवं रियल टाइम में साझा करना :–

श्री विपिन महेश्वरी अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा वन एवं वन्यप्राणी अपराध में लिप्त आरोपियों के पूर्व अपराधिक प्रकरणों की सूची तैयार करे तथा जिन के विरूद्व तीन या उससे अधिक प्रकरण दर्ज है, उन्हें पुलिस विभाग से भी साझा किया जाये ताकि पुलिस द्वारा उनकी हिस्ट्री सीट एवं इंटेरोगेशन रिपोर्ट तैयार कर निगरानी की जा सकें।

वर्तमान में मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा तैयार वेब पोर्टल एवं केन्द्र सरकार वन्यजीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली के वेब पोर्टल पर भी जानकारी संधारित की जा रही है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वन्यप्राणी अपराध व उसमें लिप्त आरोपियों के डाटाबेस के संधारण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा संधारित प्रारूपों के अनुसार इन्ट्री की जाये जिससे सभी कानून प्रवर्तन संस्थाओं के द्वारा एकीकृत प्रपत्र में जानकारी संकलित की जा सकें।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (2) पुलिस अधिकारियों व अन्य कानून प्रर्वतन संस्थाओं को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान करना :–

श्री विपिन महेश्वरी अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस एवं वन विभाग के दक्ष एवं विषय विशेषज्ञ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अन्य क्षेत्रीय अमले को माह में कम से कम एक बार प्रशिक्षण दिया जावे।

सुश्री भारती सामन्तराय सहायक निदेशक इनटेलिजेन्स ब्यूरो के द्वारा एयरपोर्ट एवं रेल्वे स्टेशनों पर विभिन्न कानून प्रतर्वन संस्थाओं के बीच आपसी समन्वय न होने के कारण वन्यप्राणियों अपराधों को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया एवं बैठक में सभी कानून प्रर्वतन संस्थाओं हेतु एक सामान प्रोटोकॉल तैयार किये जाने हेतु अवगत कराया जाकर प्रत्येक कानून प्रवर्तन संस्था के द्वारा रेल्वे स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव साझा किया गया। जिससे वन्यप्राणी अपराध के संबंध में प्रभावी रूप से सूचना का अदान–प्रदान किया जा सकें।

डॉ. एच.एस. नेगी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के द्वारा समस्त कानून प्रवर्तन संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये स्टेट टाइगर सेल का व्हाट्सअप ग्रुप बनाने हेतु आग्रह किया गया। साथ ही उनके द्वारा वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण हेतु जन–जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया गया।

श्री रामनीश गीर संयुक्त निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सीबीआई) के द्वारा वन्यप्राणी अपराधों हेतु संवेदनशील रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही वन्यप्राणी अपराध की रोकथाम हेतु विशेष कालर ट्यून का उपयोग किये जाने हेतु भी सुझाव दिया गया।

श्री आलोक पाठक, वनमण्डलाधिकरी भोपाल के द्वारा लोगो में वन्यप्राणी कछुऐं एवं अन्य प्रतिबंधित पक्षियों को घरों में पालतू बनाकर रखने के संबंध में लोगो में जागरूकता पैदा करने संबंधी प्रचार–प्रसार करने पर जोर दिया गया। इस हेतु गैर सरकारी संस्थान की सहायता ली जावें।

श्री अभय कुमार पाटिल, प्रबन्ध संचालक वन विकास निगम के द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पशुहानि प्रकरणों में मुआवजा राशि तत्काल प्रदाय किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिससे लोगो में वन्यप्राणियों के प्रति आक्रोश को कम किया जा सकें।

श्री सी.के पाटिल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के द्वारा वन्यप्रणियों द्वारा फसलहानि का मुआवजा समय पर प्रदाय न किये जाने के कारण फसलहानि मुआवजा के प्रकरणों में विलंब से भुगतान किये जाने हेतु राजस्व विभाग एवं वन विभाग के बीच में आपसी समन्वय की कमी होना बताया गया। उनके द्वारा प्रति हैक्टेयर एक निश्चित राशि फसल मुआवजा के रूप में प्रदाय किये जाने हेतु परामर्श दिया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. के द्वारा फसलों का मुआवजा देने हेतु लोक सेवा केन्द्र में सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया एवं बताया गया कि वर्तमान में विधान सभा में सबसे अधिक प्रश्न जानवरों के द्वारा फसल हानि के संबंध में पूछे जा रहे है। इसका मुख्य कारण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा में मुआवजा प्रदाय न करना है।

श्री सी.के पाटिल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के द्वारा वन विभाग में कार्यरत वनरक्षक को ईको विकास समिति के माध्यम से फसल मुआवजा दिये जाने हेतु अधिकृत करने हेतु परामर्श दिया गया साथ ही फसल हानि हेतु फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने हेतु भी अवगत कराया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (3)– स्टेट, संभाग एवं जिला स्तरीय टाइगर सेल को प्रभावी बनानाः–

डॉ. एच.एस. नेगी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के द्वारा स्टेट टाइगर सेल की बैठक राज्य स्तर पर वर्ष में एक बार संभागीय स्तर पर वर्ष में दो बार तथा जिला स्तर पर वर्ष में तीन बार किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। सभी सदस्यों के द्वारा सहमति दी गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्टेट टाइगर सेल के द्वारा संभागीय एवं जिला स्तर के पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्टेट टाइगर सेल की बैठक नियमित रूप से आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया जावेगा।

श्री आलोक पाठक, वनमण्डलाधिकारी भोपाल के द्वारा टाइगर सेल के प्रत्येक सदस्य की जवाबदारी तय किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (4)– पुलिस विभाग के द्वारा समय–समय पर आयोजित क्राइम समीक्षा बैठक मे वन्यप्राणी अपराधों को भी शामिल करना।

श्री रितेश सरोठिया, प्रभारी अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा जिला स्तर पर आयोजित पुलिस की समीक्षा बैठकों में वन्यप्राणी अपराधों की समीक्षा किये जाने हेतु सुझाव दिया गया साथ ही वन्यप्राणी अपराध को चिहिन्त अपराध की सूची में शामिल किये जाने हेतु अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय के द्वारा गंभीर वन्यप्राणी अपराधों तथा आदतन अपराधी की सूची तैयार कर प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये एवं संबंधित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ पुलिस विभाग के क्षेत्रीय अमले को निर्देश जारी करने के संबंध में आश्वस्त किया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (5)–वन्यप्राणी अपराधों के अन्वेषण में आवश्यक कॉल डिटेल रिकार्ड एवं फोन टेपिंग के संबंध में पुलिस विभाग से सहयोग प्राप्त करना।

श्री रामनीश गीर, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सीबीआई) के द्वारा फोन टेपिंग की प्रक्रिया की जटिलता के संबंध में अवगत कराया गया। श्री विपिन महेश्वरी, अपर पुलिस महानिदेशक के द्वारा अवगत कराया गया कि सीडीआर की मांग संबंधित पुलिस अधीक्षक से की जा सकती है तथा फोन टेपिंग हेतु पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आवश्यक सहयोग प्रदाय किये जाने हेतु आश्वासन दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (6)– स्कूल आफ वाइल्ड लाईफ हेल्थ एवं फॉरेन्सिक जबलपुर तथा स्टेट फॉरेसिक लैब सागर से त्वरित सहयोग प्राप्त करना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. के द्वारा अवगत कराया गया कि स्टेट फॉरेन्सिक साईस लेबोरेटरी एवं स्कूल आफ वाइल्ड लाईफ हेल्थ एवं फॉरेन्सिक जबलपुर से वन्यप्राणी अपराधों में कार्यवाही करते हुये जॉच रिपोर्ट त्वरित उपलब्ध कराई जा रही है। वन्यप्राणी अपराधों में सैम्पलिंग हेतु पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त प्रशिक्षण कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

श्री रितेश सरोठिया प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा प्रदेश के संवेदनशील थानों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को भी वन्यप्राणी अपराध के अन्वेषण में सहायता हेतु फॉरेन्सिक संस्थान से आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने का सुझाव दिया। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (7)– पुलिस विभाग में स्थापित चिन्हित अपराध में लिप्त आरोपियों की निगरानी व्यवस्था में वन्यप्राणी अपराध को शामिल करना।

श्री रितेश सरोठिया प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा पुलिस थानों में संधारित निगरानी पंजी में चिन्हित अपराधों की सूची में वन्यप्राणी अपराध विशेषकर बाघ एवं तेन्दुऐं संबंधी अपराध को शामिल किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। अध्यक्ष महोदय के द्वारा आदतन अपराधियों की सूची एवं अपराध की जानकारी पुलिस के साथ साझा करने हेतु निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (8)– पुलिस, डब्लूसीसीबी, सीबीआई,डीआरआई, ईडी व अन्य कानून प्रर्वतन संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्यवाही।

डॉ. एच.एस. नेगी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के द्वारा समस्त कानून प्रवर्तन संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये स्टेट टाइगर सेल का व्हाट्सअप ग्रुप बनाने हेतु आग्रह किया गया एवं टाइगर सेल में सम्मिलित कानून प्रवर्तन संस्थाओं से एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (9)– वन्यप्राणी अपराध में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध परिस्थिति अनुसार पुलिस द्वारा पृथक से एफआईआर दर्ज करना (आर्म्स एक्ट, दण्डप्रक्रिया संहिता, सायबर ऐक्ट, आयुध अधिनियम आदि)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा पुलिस विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय अमले को कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करने हेतु आश्वस्त किया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (10)– स्टेट टाइगर सेल में जीआरपी एवं आरपीएफ को भी शामिल करना।

सभी सदस्यों के द्वारा सहमति दी गई। इस हेतु स्टेट टाइगर सेल के द्वारा संबंधित एजेन्सियों के वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (11)– प्रदेश में निवासरत शिकारी समुदाय को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोडकर रोजगार व जीविका उर्पाजन के साधन उपलब्ध कराना।

जिला स्तरीय टाइगर सेल की बैठक में पुलिस, वन विभाग, राजस्व विभाग व अन्य विभाग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावें। उक्त बैठक में संबंधित जिलों में निवासरत विभिन्न शिकारी समुदाय के लोगो को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वैकल्पिक जीविका उर्पाजन के साधन उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (12)– माननीय न्यायालयों में वन्यप्राणी अपराधों के लंबित प्रकरणों में शासन का ठोस पक्ष रखकर त्वरित व उचित निराकरण के संबंध में।

प्रदेश के विभिन्न ट्रायल कोर्ट जिसमें वन एवं वन्यप्राणी अपराधों प्रकरण विचाराधीन है। वहॉ प्रकरणों की संख्या व संवेदनशीलता को देखते हुये इन ट्रायल कोर्ट में पुलिस विभाग के तरह वन विभाग से भी एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाये, जो वनरक्षक/वनपाल स्तर का हो। उसके द्वारा समन तामिली, अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति, शासन का ठोस पक्ष रखे जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज की उपलब्धता व अन्य समन्वय संबंधी कार्य किये जा सकें। उक्त शासकीय सेवक को न्यायालीन प्रकरणों के त्वरित निपटारे हेतु उचित प्रशिक्षण पुलिस विभाग के द्वारा प्रदाय किया जावेगा। इसके अतिरिक्त वन विभाग में लोक अभियोजन संचालनालय से आवश्यकतानुसार लोक अभियोजन अधिकारियों/शासकीय अधिवक्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर लेकर पदस्थ किया जावेगा और उन्हें वन–वन्यप्राणी कानूनों का विशेष प्रशिक्षण दिलाकर, विभिन्न न्यायालयों में विभाग का ठोस पक्ष रखकर प्रकरणों का त्वरित व शासनहित में निपटारा करने की कार्यवाही की जाये। सभी सदस्यों के द्वारा सहमति दी गई।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (13)– पुलिस विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों से वन विभाग के क्षेत्रीय अमले हेतु प्रशिक्षण आयोजित करवाना।

श्री विपिन महेश्वरी अपर पुलिस महानिदेशक के द्वारा वनरक्षक से लेकर सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न विषयों जैसे–इंटेलिजेंस गैदरिंग, एजेंट रनिंग, इंटेरोगेशन तकनीक, कोर्ट प्रोसीज़र व दस्तावेजीकरण, आर्म्स हैण्डलिंग, फिजिकल फिटनेस, क्राईमसीन इनवेस्टीगेशन, सायबर तकनीक एवं अपराध अन्वेषण की अन्य नवीन तकनीक आदि पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाकर पुलिस विभाग के साथ साझा किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। जिससे संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदेश के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा सके।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (14)–वन अमले की तरह पुलिस, अभियोजन, वन्यप्राणी चिकित्सक, व अन्य संबंधित के द्वारा वन्यप्राणी अपराध पर नियंत्रण हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरूस्कार व प्रशंसा पत्र प्रदाय किया जाना।

वन्यप्राणी अपराधों पर नियंत्रण हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग के अमले को पुरूस्कार प्रदान किये जाने की कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. द्वारा यह अवगत कराया गया कि भविष्य में वन विभाग के अमले के साथ पुलिस, लोक अभियोजन अधिकारी, पशुचिकित्सक व अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्यप्रदेश वन विभाग के राज्य स्तरीय वन्यप्राणी संरक्षण पुरूस्कार में आवश्यक संशोधन कर शामिल करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावेगा।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक (15)–अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

श्री विपिन महेश्वरी, अपर पुलिस महानिदेशक के द्वारा सुझाव दिया गया कि वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों के अन्वेषण में वित्तीय अन्वेषण (Financial Investigation) को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि लिप्त गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही होना सुनिश्चित हो सके।

श्री रामनीश गीर संयुक्त निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सीबीआई) के द्वारा बताया गया कि उनकी एजेंसी के द्वारा वन्यप्राणी अपराध के प्रकरणों के अन्वेषण में सहायता प्रदान की जा सकती है। इस हेतु उनके द्वारा प्रदेश में दर्ज ऐसे प्रकरण जिसमें अंतर्राज्जीय गिरोह के लिप्त होने के साक्ष्य मिले है उन्हे सीबीआई को अग्रिम जॉच हेतु हस्तांतरित करने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. को पत्राचार भी किया गया है।

श्री आलोक पाठक, वनमण्डलाधिकारी भोपाल के द्वारा विगत दिवस में भोपाल शहर में वन्यप्राणी तेन्दुऐं के रहवासी क्षेत्रों में आ जाने का मुख्य कारण खाद्य सामग्री युक्त अवशिष्ट पदार्थो को खुले में फेंका जाने से आवारा कुत्तो की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होना बताया गया।

डॉ. एच.एस. नेगी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के द्वारा इस हेतु नगर निगम को उचित प्रबंधन कर अवशिष्ट पदार्थो का समुचित स्थान पर विनिष्टीकरण किये जाने हेतु निर्देश जारी करने हेतु सुझाव दिया गया। सभी सदस्यों के द्वारा सहमति दी गई।

श्री अभिजीत रॉय चौधरी उपसंचालक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जबलपुर के द्वारा विभिन्न कानून प्रवर्तन संस्थाओं के द्वारा आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने को सराहा गया एवं पूर्व में डब्लू.सी. सीबी, एस.टी.एफ. पुलिस एवं स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा संयुक्त रूप से किये गये क्राईम ऑपरेशन में उल्लेखनीय योगदान की प्रशंसा की गई। उनके द्वारा यह बताया गया कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा समय–समय पर विभिन्न कानून प्रवर्तन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को वन्यप्राणी अपराध पर नियंत्रण संबंधी विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में भेजकर प्रशिक्षण आयोजित किये गये है।

भविष्य में आगामी बैठक किसी टाइगर रिजर्व में आयोजित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, तत्पश्चात उपस्थित अधिकारियों के अभार के साथ बैठक समाप्त हुई।

.02.22

(डॉ. एच.एस. नेगी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सह–अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

गोपनीय (रेसट्रिक्टेड सर्कुलेशन)

टाइगर सैल
मध्यप्रदेश
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्य योजना

❖ प्रस्तुतीकरण ❖

उपेन्द्र मोहन जोशी
अध्यक्ष टाइगर सैल
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

पुलिस मुख्यालय, भोपाल
(म प्र)

प्रफुल्ल कुमार मिश्रा
सह अध्यक्ष, टाइगर सैल
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
पदेन मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
वनभवन, भोपाल
(म. प्र.)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक	अध्याय एवं विषय		पेज क्रमांक
१	अध्याय १ - प्रस्तावना		१
२	अध्याय २ - उद्देश्य		३
३	अध्याय ३ - संरचना		५
	भाग–अ	– टाइगर सैल मुख्यालय की संरचना	६
	भाग–ब	– क्षेत्रीय समितियों की संरचना	७
४	अध्याय ४ - संवेदनशीलता की दृष्टि से जिलों का वर्गीकरण		८
५	अध्याय ५ - उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली		९
	भाग–अ	मुख्यालय स्तर समिति के उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली	१०
	भाग–ब	मानिटरिंग समिति के उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली	१३
	भाग–स	कियान्वयन समिति के उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली	१५
	भाग–द	उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली बाबत् सामान्य निर्देश	१६
६	अध्याय ६	वित्त एवं बजट	
	भाग–अ	सामान्य दिशा निर्देश एवं बजट ऑकलन	१८
	भाग–ब	व्यय बाबत् अनुदेश	१९
	भाग–स	पुरूस्कार हेतु अनुदेश	२०
७	अध्याय ७	शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों बाबत् अनुदेश	२१
८	अध्याय ८	उपसंहार	२३

अध्याय १

प्रस्तावना

वन्यप्राणी संरक्षण का मसला पर्यावरण के बृहत्तर मसले से संबंध रखता है । इस तरह से वन्यप्राणियों के संरक्षण पर ही मानव का भविष्य निर्भर करता है ।"

आदिकाल में सुगम एवँ सुलभ पारिस्थितिकी के चलते वन्यप्राणियों के अस्तित्व को कोई खतरा मौजूद नहीं था, लेकिन हाल ही के वर्षों में उनका अस्तित्व अत्यधिक विषम परिस्थिति में पहुँच चुका है, जिसके चलते कई प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं । वन्यप्राणियों के विनाश के कुछ प्रमुख कारण अवैध शिकार, रहवास क्षेत्र का विखण्डन, विरलीकरण एवँ विनाश तथा आधारभूत प्रजातियों का नष्ट होना कहे जा सकते हैं । इन समस्त विनाशकारी कारकों के लिए जैविक दबाव प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं । इन विपरीतकारी कारकों से वन्यप्राणियों के विनाश को बचाने के उद्देश्य से भारत शासन एवँ मध्यप्रदेश शासन ने विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं । इसके अंतर्गत प्रदेश के ११ राष्ट्रीय उद्यान एवँ ३५ अभयारण्यों में इनके संरक्षण एवँ संवर्धन का कार्य प्राथमिकता से किया जाता है । केन्द्र शासन के सहयोग से प्रदेश में चल रही कुछ योजनाएँ इस प्रकार है :–

प्रोजेक्ट टाइगर योजना ,

राष्ट्रीय उद्यान एवँ अभयारण्यों की विकास योजना ,

सिंह परियोजना आदि ।

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम , १९७२ यथासंशोधित १९९१ के द्वारा वन्यप्राणियों के अवैध शिकार की राकथाम में विधिगत् सहायता मिली है । साथ ही साथ वन्यप्राणियों , विशेषकर टाइगर के समस्त अंगों की सीधे – सीधे अन्तर्राष्ट्रीय कालाबाजार में कीमत २५ से ३० लाख रूपए के बीच आती है । टाइगर के अतिरिक्त अन्य वन्यप्राणियों की खालें कोट आदि बनाने के काम में तथा मॉस खाने के काम में

लिया जाता है । पारिस्थितिकीय संतुलन में एक स्थिर बायोपिरामिड का अत्यधिक महत्व होता है । इस सिस्टम में समस्त जीव–जन्तु फुडचैन के सहारे एक–दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा टाइगर इस पिरामिड के शीर्ष पर स्थित है । इस सिस्टम में कड़ियों के टूटने से विनाशकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ।

अत्एव बाघ को बचाने के लिए विशिष्ट प्रकार के कार्य किया जाना अपरिहार्य हो गया है । इसी तथ्य को मध्यप्रदेश शासन ने स्वीकारते हुए संरक्षण संबंधी कार्य प्रारंभ किए हैं , लेकिन उपरोक्त वर्णित अवैध शिकार के दबावों के चलते इस प्रकार के सभी उपाय अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं । विषय की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अवैध शिकार की रोकथाम हेतु पुलिस एवँ वनविभाग के संयुक्त तत्वावधान में विशिष्ट प्रकार के कड़े उपाय किए जाना होंगे । शासन की चिन्ता का एक और कारण यह भी था कि वर्ष १९८६ में जहाँ देश में शेरों की संख्या ४५०० थी वह घटकर वर्ष १९९३ में लगभग ३७०० रह गई है । मध्यप्रदेश में इस संख्या का २५ प्रतिशत एवँ विश्व में शेरों की संख्या का २२ प्रतिशत अंश सुरक्षित है । यह गौरव की बात होने के साथ ही साथ उनके संरक्षण का उत्तरदायित्व , विश्व की तुलना में, सर्वाधिक मध्यप्रदेश राज्य पर ही आता है ।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर दिनाँक २३–७–९४ को पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश के कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में मध्यप्रदेश शासन एवँ भारत शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे । बैठक में विभिन्न प्रशासनिक एवँ तकनीकी उपायों के अलावा पुलिस मुख्यालय में दूसरी बैठक का आयोजन किया जाकर टाइगर सैल की स्थापना की गई ।

अध्याय २

उद्देश्य

टाइगर सैल की स्थापना जिन प्रमुख उद्देश्यों को लेकर की गई है , वे निम्नानुसार है :–

१ टाइगर के अवैध शिकार एवँ उसके शारीरिक अवयवों के अवैध परिवहन एवँ व्यापार की रोकथाम ।

२ टाइगर के अलावा अन्य प्रमुख वन्यप्राणियों जैसे तेंदुआ, भालू आदि के अवैध शिकार एवँ व्यापार की रोकथाम ।

३ अन्य वन्यप्राणियों के अवैध शिकार एवँ व्यापार संबंधी उल्लेखनीय आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम ।

४ वन्यप्राणियों के अवैध शिकार करनेवाले अपराधी तत्वों की पहचान कर उनकी गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना एवँ उन पर अंकुश लगाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यान्वित करवाना ।

५ वन्यप्राणियों के अवैध शिकार एवँ व्यापार की रोकथाम में कार्यरत सभी शासकीय एजेंसियों में समन्वय स्थापित करवाना ।

६ वन्यप्राणियों के अवैध शिकार एवँ व्यापार की रोकथाम हेतु उपलब्ध संसाधनों जैसे प्रशिक्षण आदि का उन्नयन करवाना ।

७ सीमावर्ती प्रान्तों से समुचित समन्वय स्थापित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यान्वित करवाना ।

८ सामान्य जन के बीच टाइगर एवँ अन्य वन्यप्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता बाबत् उपयुक्त सुरक्षा माध्यम के तहत् जागरूकता पैदा करना ।

९ जन साधारण में वन्यप्राणियों के संरक्षण की दिशा में उचित जागृति पैदा करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यान्वित करवाना ।

१० पड़ौसी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र , राजस्थान , उत्तरप्रदेश , दिल्ली , पश्चिमबंगाल एवं उड़ीसा से अवैध व्यापार की रोकथाम में वाँछित सहयोग प्राप्त करना।

अध्याय ३

संरचना

पूरे प्रदेश के लिए टाइगर सैल की संरचना की कल्पना द्वि–स्तरीय की गई है । पहले स्तर में मुख्यालय समिति आती है और द्वितीय स्तर में क्षेत्रीय समितियाँ । क्षेत्रीय समितियों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है :–

१ मानीटरिंग (समीक्षा) समिति

२ क्रियान्वयन (जिला) समिति

यह द्वि–स्तरीय संरचना इसलिए आवश्यक है ताकि हर स्तर पर कार्यरत भिन्न–भिन्न इकाइयों के कार्य की निरन्तर व सही समीक्षा की जा सके एवँ साथ ही साथ राज्य शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का सही कार्यान्वयन करवाने में एकरूपता पूरे प्रदेश में आ सके । अतः यह द्वि–स्तरीय संरचना अवश्यंभावी है ।

भाग - अ

टाइगर सैल मुख्यालय की संरचना

मुख्यालय स्तर पर टाइगर सैल की संरचना निम्नानुसार रहेगी :–

१. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक — अध्यक्ष

२. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश — सह–अध्यक्ष

३. वन संरक्षक , वन्यप्राणी — सदस्यसचिव

पुलिस विभाग की ओर से एक राजपत्रित स्तर के अधिकारी एवँ वनविभाग की ओर से एक सहायक वन संरक्षक सहायक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।

सैल का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्थित होगा एवँ इसकी बैठकें समय–समय पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश के कार्यालयीन कक्ष में आयोजित की जावेगी । आवश्यकतानुसार एवँ गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार किया जावेगा । अभिलेख के रखरखाव का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव पर रहेगा । सैल हेतु पुलिस विभाग में एक शीघ्रलेखक नियत रहेगा जो सैल से संबंधित कार्यों का सम्पादन करेगा और अभिलेख के रखरखाव में सदस्य सचिव को आवश्यकतानुसार समुचित सहयोग समय–समय पर देता रहेगा ।

भाग - ब

क्षेत्रीय समितियों की संरचना

टाइगर सैल की क्षेत्रीय समितियों के दो स्वरूप रहेंगे :–

प्रथम – मानीटरिंग (समीक्षा) समिति

द्वितीय – क्रियान्वयन (जिला) समिति

इन समितियों का स्वरूप व्यावसायिक आवश्यकताओं के संदर्भ में भिन्न–भिन्न रहेगा ।

क – मानीटरिंग (समीक्षा) समिति निम्नानुसार होगी :–

संबंधित क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक – संयोजक

संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक , क्षेत्र संचालक (वन्यप्राणी)

ख – क्रियान्वयन (जिला) समितियों का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

संबंधित जिलाध्यक्ष

संबंधित पुलिस अधीक्षक – संयोजक

संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी

संचालक/उप संचालक रा०उ०/वनमण्डलाधिकारी (वन्यप्राणी)

अध्याय ४

संवेदनशीलता की दृष्टि से जिलों का वर्गीकरण

१ भौगोलिक एवं अन्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के चलते क्षेत्र में गठित की गई टाइगर सैल की भिन्न–भिन्न समितियों को अलग–अलग कार्य सम्पादन करने का उत्तरदायित्व आयेगा । अतः यह अनिवार्य है कि अवैध शिकार एवं वन्यप्राणी अवयवों की तस्करी से प्रभावित जिलों को समस्या की संवेदनशीलता को मूलभूत मापदण्ड बनाते हुए प्रेगमेटिक दृष्टिकोण से समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाये ।

२ उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित दो क्षेत्र बनाये गये हैं :–

अ . अतिसंवेदनशील क्षेत्र ।

ब . संवेदनशील क्षेत्र ।

अ – अतिसंवेदनशील क्षेत्र में निम्न जिले आयेंगे :–

बालाघाट २ भोपाल ३ बिलासपुर ४ छिन्दवाड़ा ५ दमोह ६ जबलपुर ७ मण्डला ८ राजनॉदगांव ६ रायपुर १० रायसेन ११ शहडोल १२ सागर १३ सिवनी १४ सतना १५ विदिशा ।

ब – संवेदनशील क्षेत्र में निम्न वर्णित जिले आयेंगे :–

बैतूल २ छतरपुर ३ दुर्ग ४ ग्वालियर ५ होशंगाबाद ६ इंदौर ७ जगदलपुर ८ खण्डवा ६ नरसिंहपुर १० पन्ना ११ रायगढ़ १२ रतलाम १३ रीवा १४ सीधी १५ सरगुजा १६ सीहोर १७ शिवपुरी १८ टीकमगढ़ ।

उपरोक्त वर्गीकृत किए गए क्षेत्रों में टाइगर सैल की मानीटरिंग एवं क्रियान्वयन समितियों की कार्यशैली स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में भिन्न–भिन्न रहेगी । इसका उल्लेख आगे अध्याय – ५ में किया जा रहा है ।

अध्याय ५

उत्तरदायित्व एवँ कार्यशैली

इस सैल की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मुख्यालय एवँ क्षेत्रीय स्तर पर गठित की गई समितियाँ अपने कार्य सम्पादन में कितनी कारगर रहती है और किस स्तर की सकियता को प्रदर्शित करती हैं ।

हालाँकि पूर्ण रूप से यह वर्णित किया जाना संभव न होगा कि किस समिति का क्या–क्या उत्तरदायित्व और क्या–क्या उनकी कार्यशैली रहेगी , परन्तु कुछ संबंधित उल्लेखनीय पहलू आगे चलकर वर्णित किये गये हैं ।

२ इस अध्याय को चार भागों में विभाजित किया गया है :–

भाग - 'अ' मुख्यालय स्तर पर गठित की गई समिति के उत्तरदायित्व एवँ कार्यशैली के बारे में ।

भाग -'ब' मानिटरिंग (समीक्षा) समिति के उत्तरदायित्व एवँ कार्यशैली के बारे में ।

भाग - 'स' जिला स्तर पर कार्यरत क्रियान्वयन समिति के उत्तरदायित्व एवँ कार्यशैली के संबंध में ।

भाग - 'द' इसमें उन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जो कि भिन्न–भिन्न समितियों को सामूहिक रूप से सम्पादित करने होंगे ।

मुख्यालय स्तर समिति के उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली

इस समिति के गठन का विवरण पूर्व अध्याय – ३ के प्रारंभ में दिया गया है । इससे संबंधित उत्तरदायित्व में कार्यप्रणाली सारांश में निम्नानुसार होगी :–

१ मध्यप्रदेश शासन एवं भारत शासन के अन्य विभागों , जिनका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संबंध टाइगर सैल से बनता है , उनसे समन्वय स्थापित करना ।

२ शासन को समय–समय पर टाइगर सैल की प्रगति एवं गतिविधियों के बारे में समुचित रूप से जानकारी देते रहना ।

३ टाइगर सैल की प्रभावशीलता को बनाने के लिए उन उपायों एवं सुधारों के बारे में सुझाव देना जिनको अपनाए जाने से प्रभावशीलता सकारात्मक बनती है ।

४ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम में समय की आवश्यकताओं के अनुसार जो संशोधन प्रासंगिक दिखाई देते हैं , उनके बारे में सुझाव देना ।

५ पड़ौसी राज्यों से वन्यप्राणियों के अंगों, अवयवों एवं इससे संबंधित तस्करी की रोकथाम में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए बैठक आयोजित करना या अन्य कार्यवाही हेतु पहल करना ।

बैठक के आयोजन में सामान्य रूप से जो स्थान रहेंगे, वह निम्नानुसार प्रस्तावित हैं:–

राज्य	बैठक स्थल	
मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र	१. मुक्की कान्हा रा०उ०	२. नागपुर
मध्यप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल	१. बांधवगढ़ रा०उ०	२. कलकत्ता
मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश	१. जबलपुर	२. लखनऊ
मध्यप्रदेश एवं बिहार	१. भोपाल	२. पटना
मध्यप्रदेश एवं दिल्ली	१. दिल्ली	

६ सीमावर्ती प्रान्तों से सही समन्वय स्थापित करने हेतु संबंधित प्रान्तों से साल में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना ।

७ सही तालमेल बनाये रखने के लिए एवँ समिति की कार्यशैली में गतिशीलता बरकरार रखने के लिएं मुख्यालय समिति की तीन माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करना ।

८ इस बात को सुनिश्चित करना कि मानीटरिंग एवँ क्रियान्वयन समितियाँ सही कार्य सम्पादन करें और मुख्यालय समिति को सही सूचनाएँ सही समय पर निर्धारित प्रोफार्मा पर भेजें । प्रोफार्मा का स्वरूप सदस्य सचिव , मुख्यालय समिति द्वारा तैयार किया जावेगा ।

९ क्षेत्र में कार्यरत मानिटरिंग एवँ क्रियान्वयन समितियों की कार्य कुशलता के बारे में पैने रूप से मूल्यांकन करने हेतु प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित कर स्थिति का जायज़ा लेना ।

१० मानिटरिंग एवं क्रियान्वयन समितियों के द्वारा अपने कार्य सम्पादन को सही अंजाम देने के लिए सहायतार्थ राज्य शासन के सहयोग से सहायतार्थ यथोचित धन राशि समय–समय पर अर्जित कर वितरित करना ।

११ इस बात को सुनिश्चित करना कि टाइगर सैल में कार्यरत कर्मचारी एवँ अधिकारी उच्चतम स्तर की कार्यक्षमता को प्रदर्शित करें । इसके लिए आवश्यकतानुसार उन्हें प्रान्त के अंदर या प्रान्त के बाहर, चाहे विदेशों में ही, प्रशिक्षण आदि के लिए चयनित कर सुविधा उपलब्ध करवाना ।

१२ प्रान्त के अंदर या बाहर उन सभी एजेंसियों जो टाइगर सैल की कार्यकुशलता को बढ़ाने में कारगर हो सकती हैं, से संपर्क स्थापित कर कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु उनकी मदद लेना ।

१३ जन साधारण में टाइगर सैल द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों की संवेदनशीलता को सही रूप से ग्राह्य करने के लिए कियान्वयन समितियों के माध्यम से कार्रवाई करना ।

१४ संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करना ताकि उस क्षेत्र में कार्यरत क्रियान्वयन समितियाँ सही और कारगर ढंग से कार्य कर सकें।

१५ संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में समय–समय पर संयुक्त रूप से बैठकें आयोजित करना ।

१६ प्रदेश में टाइगर संख्या एवँ उनसे संबंधित सभी आवश्यक आँकड़ों की जानकारी समिति में उपलब्ध रखना और टाइगर संख्या की निरन्तर समीक्षा करना ।

१७ क्रियान्वयन समिति एवँ समीक्षा समितियों से प्रतिमाह प्राप्त होनेवाली जानकारी के आधार पर प्रदेश से संबंधित स्वयंपूर्ण जानकारी देते हुए प्रतिवेदन तैयार करना और उसे भारत शासन और अन्य प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों एवँ कार्यालयों में प्रत्येक माह पहुँचवाना ।

१८ टाइगर सैल के कार्य की संवेदनशीलता को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए उचित माध्यम से जैसे टी०व्ही० , रेडियो आदि से समुचित पब्लिसिटी करवाने हेतु रूपरेखा तैयार करना और उसे कार्यान्वित करवाना ।

यह पहलू सुझाव स्वरूप हैं, पूर्णात्मक नहीं । इसके अलावा समिति अगर किसी पहलू से हटकर या किसी भी पहलू में संशोधन कर कार्य करना चाहती है तो उसमें कोई बंदिश नहीं होगी ।

मानिटरिंग समिति के उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली

१ शासन/मुख्यालय स्तर द्वारा चाही गई जानकारी समय पर उपलब्ध करवाना

२ मानिटरिंग समिति की रिव्यू मीटिंग आयोजित करना जो कि कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार हो । श्रेयस्कर यह होगा कि यह मीटिंग मार्च, जून , सितम्बर और दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में की जाए ।

३ विधि संबंधी एवं अन्य प्रशासनिक कठिनाई के परिप्रेक्ष्य में कानून एवं प्रकिया में रद्दोबदल करने के लिए समय–समय पर अपने सुझाव मुख्यालय समिति को देना ।

४ इस बात को सुनिश्चित करना कि उनके अधीनस्थ कार्यरत क्रियान्वयन समितियों गतिशील होकर कार्यरत रहें और उनमें पदस्थ अधिकारियों की कार्य–क्षमता बरकरार रहें , जिसके लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों का चयन विशेषज्ञ प्रशिक्षण हेतु करने के बाद मुख्यालय स्तर को प्रस्तावित करना ।

५ टाइगर सैल से संबंधित प्राप्त होनेवाले शिकायती आवेदन–पत्रों की जाँच उच्चतम प्राथमिकता देते हुए शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसे अधिकारी से करवाना जो कि वनमण्डलाधिकारी से अनिम्न स्तर का हो ।

६ अपनी समिति द्वारा और उसके अधीनस्थ क्रियान्वित समिति के द्वारा किए गए कार्यो के बारे में माह में कम से कम एक बार विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय समिति को देना जिसका प्रारूप मुख्यालय समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा । उस स्वरूप के बाहर कोई भी जानकारी हो तो उसे भी रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सकता है ।

७ इस बात को सुनिश्चित करना कि क्रियान्वयन समितियाँ अपने–अपने क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह से सजग रहें और इस सजगता या असजगता के बारे में मुख्यालय समिति को सूचित करना ।

८ इस बात को सुनिश्चित करना कि उनसे या क्रियान्वयन समितियों से सीधा सम्पर्क करने के लिए उपयोगी सूत्रों को दिये जानेवाले इनामात सही मात्रा में बिना समय गँवाये दिये जावें ।

९ क्रियान्वयन समिति के स्तर पर प्राप्त होनेवाली शिकायतों के निपटारे एवं जाँच की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना ।

१० क्रियान्वयन समिति के स्तर पर पैदा किए गए सूत्रों की कार्यक्षमता का समय–समय पर मूल्यांकन करना ।

यह सभी पहलू सुझाव स्वरूप हैं , पूर्णात्मक नहीं । इसके अलावा आवश्यकता–नुसार समिति अगर किसी पहलू से हटकर या किसी भी पहलू में संशोधन कर कार्य करना चाहती है तो उसमें कोई बंदिश नहीं होगी ।

भाग - ख

क्रियान्वयन समिति के उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली

१ मुख्यालय एवं मानिटरिंग समिति द्वारा समय--समय पर माँगी गई रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करना ।

२ अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में माह में कम से कम दो बार और संवेदनशील क्षेत्रों में माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर स्थिति की गंभीरता का ऑकलन करना और तदोपरान्त स्थिति से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना । जिसके लिए माह का दूसरा एवं चौथा सप्ताह निर्धारित किया जाना श्रेयस्कर होगा ।

३ इस प्रकार तैयार की गई रूपरेखा की कार्यवाही टाइगर सैल मुख्यालय समिति को सूचित करना ।

४ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की पैरवी सही ढंग से हो रही है या नहीं , और नहीं हो रही हो तो उसे दुरुस्त करने के लिए रूपरेखा तैयार करना और मानिटरिंग समिति एवं मुख्यालय समिति को सूचित करना ।

५ संदेहास्पद अवैध शिकारियों , व्यापारियों एवं अवैध शिकार व व्यापार की कड़ी में जुड़े तमाम व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना और उनके बारे में अभिलेख तैयार करना ।

६ अभिलेख तैयार करने के बाद इस प्रकार के तत्वों पर सतत् रूप से निगरानी रखे जाने को सुनिश्चित करना ।

यह पहलू सुझाव स्वरूप है, पूर्णात्मक नहीं । इसके अलावा आवश्यकतानुसार समिति अगर किसी पहलू से हटकर या किसी भी पहलू में संशोधन कर कार्य करना चाहती है तो उसमें कोई बंदिश नहीं होगी ।

उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली बाबत् सामान्य निर्देश

बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनको कि समिति के कार्य विभाजन के दायरे में सीमित किया जाना मुनासिब न होगा । सभी समितियाँ एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रही हैं और सभी के उत्तरदायित्व व्यक्तिगत होने के साथ–साथ सामूहिक भी हैं । अतः इस उत्तरदायित्व के सही सम्पादन हेतु वह उल्लेखनीय पहलू जिनके बारे में सभी समितियों द्वारा एक रूप में ध्यान दिया जाना है , सारांश में निम्न है :–

१ ऐसे तमाम व्यक्तियों की पहचान करना जो कि अवैध शिकार एवं व्यापार में संलग्न हैं । चाहे वह जाहिरा तौर पर हो या फिर अप्रत्याशित रूप में हो । चाहे वह मूल रूप में हो या एक कड़ी के रूप में हो ।

२ इस प्रकार पहचान करने के बाद उनमें से उन व्यक्तियों की ज्यादा पहचान करना जो कि किसी प्रकार के प्रलोभन के कारण हमारे लिए सूचना का साधन बन सकते हैं । ऐसा करने के बाद सूत्र पैदा करना ।

३ इस प्रकार पहचान करने के उपरान्त उन व्यक्तियों के बारे में सतत् निगाह रखने हेतु रूपरेखा तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करवाना ।

४ संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त रूप से भ्रमण कर जनसाधारण एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की बैठक आयोजित करना । इस प्रकार के भ्रमण अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में माह में कम से कम एक बार , संवेदनशील क्षेत्रों में दो माह में एक बार बैठक करना श्रेयस्कर होगा । भ्रमण संबंधी पीरियाडिसिटी मानीटरिंग एवं क्रियान्वयन समिति पर लागू होगी ।

५ पुलिस एवँ वनविभाग में कार्यरत हर स्तर के अधिकारियों में समुचित समन्वय एवँ सामंजस्य स्थापित किया जाना सुनिश्चित करना ।

६ क्षेत्रीय स्तर पर शासकीय एवँ गैर शासकीय इकाइयों में सामंजस्य स्थापित करना चाहे वह गैर शासकीय इकाई प्रान्त के अन्दर हो या बाहर हो ।

७ समिति के समक्ष प्राप्त होनेवाली शिकायतों में की गई जॉच की निष्पक्षता एवँ प्रभावशीलता का सही मूल्यांकन करना ।

८ जन साधारण में वन्यप्राणियों के प्रति समुचित जागृति उत्पन्न करने हेतु योजना एवँ रूपरेखा तैयार कर कार्यान्वित करना ।

यह सभी पहलू सुझाव स्वरूप हैं, पूर्णात्मक नहीं । इसके अलावा आवश्यकतानुसार समिति अगर किसी पहलू से हटकर या किसी भी पहलू में संशोधन कर कार्य करना चाहती है तो उसमें कोई बंदिश नहीं होगी ।

अध्याय ६

वित्त एवं बजट

भाग - अ

सामान्य दिशा निर्देश एवं बजट आँकलन

टाइगर सैल के कार्य सम्पादन में वित्तीय संसाधनों की अहमियत का जायजा मुख्यालय स्तर पर लिया गया है । यह विश्लेषण उपरान्त राज्य शासन को , सैल को ठोस वित्तीय साधन उपलब्ध करवाने के लिए , प्रस्ताव भेज दिए गए हैं । ऐसी आशा की जाती है कि निकट भविष्य में राज्य शासन आवश्यकतानुसार टाइगर सैल को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा । बहरहाल , जहाँ तक क्षेत्र में कार्यरत क्रियान्वयन एवं समीक्षा समितियों का प्रश्न है , उन्हें वित्तीय कठिनाई नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित किए जाने के पूर्ण प्रयास किए जावें । समय–समय पर "गुप्त सेवा निधि" मद से या अन्य स्त्रोतों से क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को आवश्यकतानुसार धनराशि पहुँचा दी जावेगी । राशि व्यय करने के संबंध में जिन मूल मापदण्डों को आधार बनाना होगा उसका उल्लेख इस अध्याय के भाग–ब में तो किया ही गया है, साथ ही साथ राशि भेजते समय विस्तार में परामर्श स्वरूप उल्लेख कर दिया जावेगा।

व्यय बाबत् अनुदेश

भाग 'अ' में जिस धनराशि का उल्लेख किया गया है उसके व्यय किए जाने हेतु जो कार्यशैली अपनाई जाएगी उसके मुख्य पहलू सारांश में निम्नानुसार हैं:-

अ – मुख्यतः यह धनराशि सूत्रों को वितरित किए जाने के कारण इसका अंकेक्षण किया जाना संभव न होगा ।

ब – इस बात को सुनिश्चित करने के लिए के धनराशि का व्यय सकारात्मक एवें व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, मानीटरिंग समितियों क्रियान्वयन समितियों के व्यय की और मुख्यालय समिति मानिटरिंग समितियों के द्वारा किए गए व्यय का परीक्षण प्रतिमाह करेगी । इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा मुख्यालय द्वारा अलग से जारी किया जावेगा जिसे अध्यक्ष मुख्यालय समिति द्वारा तैयार किया जावेगा ।

स – इस व्यय प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी व्यक्तियों को धनराशि वितरित की जाना संभावित है जो कि सूत्र न होकर इनफार्मर के रूप में कार्य करने में नहीं हिचकेंगे । उस हालत में उनको भी वितरित की गई धनराशि की विधिवत् रसीदें प्राप्त की जा सकती हैं और उच्चतर समिति अपने अधीनस्थ कार्यरत समिति के इस तरह किए गए व्यय का सत्यापन देख सकेंगे ।

द – वनविभाग के बजट में प्रावधान होने के उपरान्त , इस धनराशि को अध्यक्ष मुख्यालय समिति के कार्यालय से अधीनस्थ समितियों में आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जावेगा । इसकी प्रक्रिया कार्यालय अध्यक्ष मुख्यालय समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी । यह धनराशि मानिटरिंग कमेटी के संबंधित अध्यक्ष एवें जिला स्तर पर कार्यरत क्रियान्वयन समिति में संलग्न पुलिस अधीक्षकं के अधिपत्य में दी जावेगी जो इसके वितरण आदि के अभिलेख के रखरखाव हेतु उत्तरदायी होंगे ।

पुरूस्कार हेतु अनुदेश

भाग–ब में वर्णित वितरण प्रक्रिया के अलावा भी ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं , जिसमें कुछ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में इनामात दिया जाना श्रेयस्कर हो । उन परिस्थितियों में इस धनराशि से व्यय किया जाना अनुचित होगा । ऐसा करना इस धनराशि के व्यय में निहित मूल भावना के विपरीत होगा । अतः इसके लिए एक मद बनाया जाना प्रस्तावित है जिसका कि नाम "रिवार्ड टू इन्फार्मर" रखा जा सकता है । इसमें आहरण और वितरण की प्रणाली ठीक उसी प्रकार रहेगी जैसी कि सामान्य रूप से शासकीय धन को निकालने और व्यय करने में रहती है । प्रारंभिक रूप से इस मद में लगभग ५.०० लाख रूपए की धनराशि प्रतिवर्ष के हिसाब से उपलब्ध करवाई जाना श्रेयस्कर होगा ।

इस मद के अंतर्गत स्वीकृत किए गए इनामात आदि को आवश्यकतानुसार जन साधारण समूह के समक्ष वितरित किया जा सकता है ।

२ – ऐसी परिस्थितियों में जबकि अधिकारी विशेष एवँ पब्लिक के व्यक्तियों द्वारा कोई बहुत सराहनीय कार्य किया गया हो तो उनके इनामात की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से अपनाई जाए जिस प्रकार भारत शासन द्वारा ड्रग्स के पकड़ने के संबंध में अपनाई जाती है । इनाम की धनराशि की सीमा को निर्धारित करने के लिए निम्नानुसार समिति बनाई जा सकती है :–

१. मुख्यालय स्तर पर कार्यरत समिति
२. अतिरिक्त सचिव, वनविभाग एवँ
३. उप सचिव, वित्त विभाग .

अध्याय ७

शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों बाबत् अनुदेश

अध्याय – ६ के प्रारंभ में इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया गया था कि समितियों के माध्यम से सूत्रों को इकट्ठा करना कदाचित् संभव हो सकेगा । परन्तु सैल एवँ विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवँ कर्मचारियों द्वारा सूत्रों को पैदा करने की संभावना को अमान्य करना अहितकर होगा । उनके लिए भी ऐसे प्रोत्साहन ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं जिसकी सर्वव्यापक मान्यता हो । जैसे कोई अच्छा कार्य करने पर उनकी सेवा पुस्तिका में प्रशंसा अंकित कर उनके कार्य की प्रशंसा करना आदि–आदि ।

अतः इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रेषित किए जा रहे हैं :–

अ – अद्वितीय रूप से सराहनीय कार्य करने पर संबंधित अराजपत्रित स्तर के अधिकारियों एवँ कर्मचारियों को पारी से हटकर पदोन्नति की पात्रता होनी चाहिए । इसके लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रिया वनविभाग द्वारा तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

ब – अच्छा कार्य करनेवालों के लिए नगद पुरस्कार प्रावधानित किए जा सकते हैं और श्रेयस्कर यह होगा कि नगद पुरस्कार की बजाए बन्दूक एवँ बन्दूक के लायसेंस इनाम के रूप में उन्हें दिए जाएँ।

स – अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में से चन्द–एक क्षेत्रों को चिन्हित कर वहाँ पर टाइगर सैल में कार्यरत अधिकारियों एवँ कर्मचारियों को आर्थिक भत्ते के रूप में या हार्डशिप अलाउंस मुहैया किए जा सकते हैं । इन क्षेत्रों को चिन्हित करने की प्रक्रिया और विशिष्ट अलाउंस देने की प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के कार्यालय द्वारा तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

द – अतिसंवेदनशील क्षेत्र के टाइगर सैल में कार्यरत रेंजर और उसके उपर के वन अधिकारियों में उपयुक्त समन्वय बनाने हेतु दूर संचार की व्यवस्था किया जाना श्रेयस्कर होगा । जिसके लिए मोटरोला , हैण्डहैल्ड वायरलैस मय कंट्रोल के उपलब्ध किया जाना श्रेयस्कर होगा ।

इ – अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में मोबीलिटी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से रेंजर एवं उसके उपर के स्तर के अधिकारी को गाड़ी उपलब्ध कराना श्रेयस्कर होगा। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय द्वारा तैयार किए जाना प्रस्तावित है ।

फ – जिला स्तर पर कार्यरत क्रियान्वयन समितियों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत मानिटरिंग समितियों में एवं मुख्यालय समिति में कार्यरत वन अधिकारियों को कारगर पर्यवेक्षण हेतु एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई जाना उचित होगा । टेलीफोन व्यय की ऊपरी सीमा वास्तविक आवश्यकताओं पर ही आधारित होनी चाहिए ।

ह – टाइगर सैल मुख्यालय के लिए अनुसचिवीय अमला न ही अभी प्रस्तावित किया जा रहा है और न ही बहुत निकट भविष्य में इसकी अवश्यकता प्रतीत होती है। बहरहाल टाइगर सैल से संबंधित कार्य अपने आप में विशिष्ट कार्य है जिसका सम्पादन उपलब्ध अनुसचिवीय अमले के माध्यम से ही कराया जावेगा । परन्तु यह कार्य करनेवाले संबंधित अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए शासकीय तौर पर निम्नलिखित मानदेय प्रदाय
किया जाना प्रस्तावित है :–

निज सचिव/निज सहायक	३००/–रू० प्रतिमाह
लेखापाल	२००/–रू० प्रतिमाह

उपरोक्त मानदेय देने हेतु संबंधित विभाग के बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए और राज्य स्तर से तद्नुसार आदेश जारी कर दिये जाना प्रस्तावित है ।

अध्याय ८

उपसंहार

पूर्व के सात अध्यायों में टाइगर सैल के उद्देश्य, उसकी संरचना एवं कार्यशैली देने के साथ–साथ सैल की कार्यदक्षता के लिए कुछ बुनयादी अनुपातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया । निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि सैल की सफलता पूर्णतः दो बातों पर आधारित रहेगी :–

अ – सैल में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति कटिबद्धता किस स्तर की है ।

ब – इस सैल में कार्य करनेवाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उनके कार्य के प्रति कटिबद्धता को वाँछित स्तर कायम रखने के लिए शासन स्तर पर कितना सकारात्मक प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है ।

अतः इस निरन्तर चलनेवाली प्रक्रिया में यह सर्वथा उचित एवं हितकर है कि राज्य शासन स्तर पर सैल की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता के बारे में निरन्तर समीक्षा होती रहे । आवश्यकतानुसार जहाँ कहीं कोई कमी दिखाई देती है , उसके प्रति सतत् प्रयास होने चाहिए और जहाँ कहीं ढील या गफलत परिलक्षित होती है वहाँ चुस्तचीनी होनी चाहिए । परन्तु इस पूरे अनुपात में निहित एक सिद्धान्त जरूर है और आगे भी रहेगा कि सैल को स्थापित करके अपने आप कार्य की पूर्णाहुति नहीं मान लेनी चाहिए। इसकी लगातार रवानी पर ही इसकी कार्यक्षमता आधारित रहेगी और उस रवानी को कायम रखने में राज्य शासन का मार्गदर्शन एवं सहयोग ही बुनयादी तौर पर उपयोगी सिद्ध होगा ।

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक/ एफ 14/174/94/10-2 भोपाल, दिनांक 2-6/2-97

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
2. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक (रेंज)
3. समस्त वन संरक्षक
4. समस्त जिलाध्यक्ष
5. समस्त पुलिस अधीक्षक
6. समस्त संचालक राष्ट्रीय उद्यान
7. समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश

विषय :- टाइगर सैल हेतु कार्य योजना ।
संदर्भ :- टाइगर सैल/ 287 दिनांक 22, सितंबर, 1995.

शासन की स्पष्ट मंशा है कि हर हालत में वन्यप्राणियों के अवैध शिकार एवं तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगे । इसी तारतम्य में श्री यू.एम.जोशी, (भा.पु.से) एवं श्री पी.के.मिश्रा (भा.व.से.) के सराहनीय प्रयास से टाइगर सैल हेतु कार्य योजना तैयार की गई है, जिस पर शासन ने सैद्धांतिक सहमति दी है । इस योजना में संवेदनशीलता की दृष्टि से जिलों का वर्गीकरण कर मानिटरिंग एवं क्रियान्वयन समितियों के उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली निर्धारित की गई है । व्यय एवं पुरस्कार बाबत् प्रावधानों का भी इसमें समावेश है ।

उल्लेखनीय है कि गत दो वर्षों में मध्यप्रदेश राज्य में गठित टाइगर सैल द्वारा अवैध शिकार पर अंकुश लगाने का सराहनीय प्रयास किया गया है । आशा है यह कार्य योजना इन प्रयासों को और प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए अत्यंत कारगर साबित होगी । कार्य योजना के अध्याय 4 में क्षेत्रीय समितियों की संरचना तथा अध्याय 5 में समितियों के उत्तरदायित्व एवं कार्यशैली का वर्णन है । शासन की यह अपेक्षा है कि अति संवेदनशील एवं संवेदनशील जिलों में जिलाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी तथा राष्ट्रीय उद्यान के संचालक/ उप संचालक, अभ्यारण्यों के अधीक्षक इस कार्य योजना के अनुरूप व्यक्तिगत रूचि, लगन एवं टीम वर्क से कार्य करेंगें एवं अपने प्रयासों से शेर एवं अन्य वन्यप्राणियों के अवैध शिकार पर पूर्ण रोकथाम कर शिकार एवं तस्करी समाप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगें ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन 24/2/97
वन विभाग